परिपत्र संख्या-विधि/2022-23/कम्प्यूटर परि0सं0-2223015 / 131 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 मई, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-1 / अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील),

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रवर्तन इकाइयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आनलाईन अपील दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) अथवा एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 सपठित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे केंद्रीय अधिनियम कहा गया है) की धारा-129 अथवा धारा-130 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश से क्षुब्ध होने पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपील दाखिल किए जाने का प्रावधान है। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय अधिनियम की उक्त धाराओं के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध आनलाइन अपील दाखिल किए जाने की व्यवस्था GST Portal पर उपलब्ध न होने के कारण परिपत्र संख्या-विधि-4(2)/17-18/1054 दिनांक 24-11-2017 से मैनुअल अपील की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए थे। BO सिस्टम पर आनलाइन अपील माड्यूल में तकनीकी समस्याओं के निराकरण होने तक मैनुअल अपील की व्यवस्था को परिपत्र संख्या-1819096 दिनांक 04-02-2019 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी किया गया था।

2. प्रान्तीय अधिनियम की धारा-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के विभिन्न न्यायिक सम्भागों में तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर को सचलदल एवं वि0अनु0शा0 इकाइयों के अपीलीय अधिकारी का क्षेत्राधिकार आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/411 दिनांक 27-07-2017 एवं संशोधित आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/1367 दिनांक 07-02-2018 से प्रदान किया गया है।

3. जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित आनलाइन अपील माड्यूल में प्रदेश की सचलदल इकाइयों के कार्यालय को सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार से लिंक कर दिए जाने के कारण प्रदेश में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी सचलदल इकाई

द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107(1) के अन्तर्गत आनलाइन माध्यम से FORM GST APL 01 दाखिल किए जाने पर उक्त अपील सम्बन्धित सचलदल के अपीलीय अधिकारी के लागिन पर प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार धारा-129 अथवा धारा-130 के अन्तर्गत TEMP I.D. पर पारित आदेशों के विरुद्ध आनलाइन FORM GST APL 01 भी सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी के लागिन पर प्रदर्शित होगा।

अत: तत्काल प्रभाव से परिपत्र संख्या-1819096 दिनांक 04-02-2019 को अतिक्रमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सचलदल इकाइयों द्वारा धारा-129 अथवा धारा-130 के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध आनलाइन दाखिल अपील ही नियमानुसार अपीलीय अधिकारियों द्वारा एडमिट की जाएगी।

4. BO सिस्टम पर अपील से सम्बन्धित उपलब्ध एम0आई0एस0 के अवलोकन से यह प्रतीत हो रहा है कि आनलाइन प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार FORM GST APL 04 अपलोड नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वर्षवार प्राप्त आनलाइन अपीलों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में आनलाइन प्राप्त एवं निस्तारित समस्त अपीलीय आदेशों को FORM GST APL 04 में BO सिस्टम पर उपलब्ध अपील माड्यूल में दिनांक 31-07-2022 तक अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

26/5/2022

(मिनिस्ती एस.)
आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।